

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रीची, दिनांक—२३।५।२१


संख्या—०१स्था०—९७/२०२०—८६४ /विठ्ठ०। एलद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान—सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२५०(१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०-२१ में गठित नियम समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है—

०१. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा—	<u>स०वि०स०</u>	सभापति
०२. सभापति, लोक लेखा समिति—	<u>स०वि०स०</u>	सदस्य
०३. सभापति, प्राक्कलन समिति—	<u>स०वि०स०</u>	सदस्य
०४. सभापति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति	<u>स०वि०स०</u>	सदस्य
०५. सभापति, सदाचार समिति	<u>स०वि०स०</u>	सदस्य।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान—सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,



(महेन्द्र प्रसाद) २३।५।२१

सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

झापांक—०१स्था०—९७/२०२०—८६५ /विठ्ठ०, रीची, दिनांक—२३।५।२१

प्रति—अध्यक्ष, झारखण्ड विधान—सभा, सभापति नियम समिति/सभापति, लोक लेखा समिति/सभापति, प्राक्कलन समिति/सभापति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति/सभापति, सदाचार समिति/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, रीची/महालेखाकार, झारखण्ड, रीची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रीची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(रंजीत कुमार) २३।५।२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

झापांक—०१स्था०—९७/२०२०—८६५ /विठ्ठ०, रीची, दिनांक—२३।५।२१

प्रति—स्थापन शाखा (१० प्रति में)/लेखा शाखा/जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाइन शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/सभी अपर सचिव, /सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रंजीत कुमार) २३।५।२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान—सभा, रीची।


क्र० ४०३०

ગુજરાત સરકારી કલાકારી

02.


જાપાંક-01સ્વાઠ-97/2020 - 865 / વિભાગ, રોંડી, દિનાંક- 23/12/21

પ્રતિ—માનવીય અધ્યક્ષ મહોદય કે વિશેષ કાર્ય પદાધિકારી/સંયુક્ત સચિવ, અધ્યક્ષીય કાર્યાલય /સચિવ મહોદય કે આપું સચિવ કો ક્રમાંક: માનવીય અધ્યક્ષ એવ સચિવ કે સૂચનાર્થ પ્રેરિત।


સંયુક્ત સચિવ
23/12/2021

— એ પાત્ર જાપાંક નાનીઓ કે પાત્ર જાપાંક એવ સચિવ કો ક્રમાંક: માનવીય અધ્યક્ષ એવ સચિવ કે સૂચનાર્થ પ્રેરિત।
જાપાંક-01સ્વાઠ-97/2020 - 865 / વિભાગ, રોંડી, દિનાંક- 23/12/21


પ્રતિ—કોણગાર પદાધિકારી, સચિવાલય કોણગાર, ડોરણા, રોંડી કો સૂચનાર્થ એવ આવશ્યક કાર્યવાહી હેતુ પ્રેરિત।


સંયુક્ત સચિવ
23/12/2021


— એ પાત્ર જાપાંક નાનીઓ કે પાત્ર જાપાંક એવ સચિવ કો ક્રમાંક: માનવીય અધ્યક્ષ એવ સચિવ કે સૂચનાર્થ પ્રેરિત।

જાપાંક-01સ્વાઠ-97/2020 - 865 / વિભાગ, રોંડી, દિનાંક- 23/12/21

પ્રતિ—નોડલ પદાધિકારી, ઝારખણ્ડ વિધાન સભા, રોંડી એવ અધીકારી, રાજકીય મુદ્રણાલય ડોરણા, રોંડી કો ઝારખણ્ડ રાજપત્ર (ઈ-ગ્રાંડ) કે અસાધારણ અંક મેં પ્રકાશનાર્થ પ્રેરિત।


સંયુક્ત સચિવ
23/12/2021

ઝારખણ્ડ વિધાન સભા, રોંડી।


23/12/21

નોડલ પદાધિકારી, ઝારખણ્ડ વિધાન સભા, રોંડી એવ અધીકારી, રાજકીય મુદ્રણાલય ડોરણા, રોંડી કો ઝારખણ્ડ રાજપત્ર (ઈ-ગ્રાંડ) કે અસાધારણ અંક મેં પ્રકાશનાર્થ પ્રેરિત।


23/12/21

નોડલ પદાધિકારી, ઝારખણ્ડ વિધાન સભા, રોંડી એવ અધીકારી, રાજકીય મુદ્રણાલય ડોરણા, રોંડી કો ઝારખણ્ડ રાજપત્ર (ઈ-ગ્રાંડ) કે અસાધારણ અંક મેં પ્રકાશનાર્થ પ્રેરિત।


23/12/21

નોડલ પદાધિકારી, ઝારખણ્ડ વિધાન સભા, રોંડી એવ અધીકારી, રાજકીય મુદ્રણાલય ડોરણા, રોંડી કો ઝારખણ્ડ રાજપત્ર (ઈ-ગ્રાંડ) કે અસાધારણ અંક મેં પ્રકાશનાર્થ પ્રેરિત।


23/12/21

आरखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक—२३/५/२१

संख्या—०१स्था०—९७/२०२०—८६६/वि०स०। एतद द्वारा संसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि आरखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२४५(१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, आरखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०—२१ में गठित विशेषाधिकार समिति को वर्ष २०२१—२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :—

०१. अध्यक्ष, आरखण्ड विधान सभा	स०वि०स०	सभापति
०२. संसदीय कार्य मंत्री, आरखण्ड सरकार	स०वि०स०	सदस्य
०३. नेता प्रतिपक्ष, आरखण्ड विधान सभा	स०वि०स०	सदस्य
०४. सभापति, आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति	स०वि०स०	सदस्य
०५. सभापति, सरकारी आश्वासन समिति	स०वि०स०	सदस्य।


विशेष आवंत्रित सदस्य

१. सभापति, सदाचार समिति
२. सभापति, जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति।

अध्यक्ष, आरखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।


अध्यक्ष, आरखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद) २३/५/२१

सचिव,
आरखण्ड विधान—सभा, रौंची।

सापांक—०१स्था०—९७/२०२०—८६७/वि०स०, रौंची, दिनांक—२३/५/२१

प्रति— अध्यक्ष, आरखण्ड विधान सभा/स०वि०स०, सभापति, विशेषाधिकार समिति/संसदीय कार्य मंत्री, आरखण्ड सरकार/नेता प्रतिपक्ष, आरखण्ड विधान सभा/रांची/सभापति, आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति/सभापति, सरकारी आश्वासन समिति/सभापति, सदाचार समिति, आरखण्ड विधान सभा/रांची/सभापति, जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति/माननीया राज्यपाल के प्रबन्धन सचिव/महाविवक्ता, आरखण्ड, रांची/महालेखाकार, आरखण्ड, रांची/मुख्य सचिव, आरखण्ड सरकार, रांची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रंजीत कुमार) २३/५/२०२१

संस्कृत सचिव,
आरखण्ड विधान—सभा, रौंची।

३०४।३०


02.

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020

867

/विसो, रीची, दिनांक- २३।५।२१,

प्रति:-रणनीति शाखा (10 प्रतियों में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, डारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, डारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, / सभी उप सचिव एवं सभी अपर सचिव, डारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


रमेश कुमार
23।५।२०२१

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव,


डारखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020

867

/विसो, रीची, दिनांक- २३।५।२१,

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।


रमेश कुमार
23।५।२०२१

संयुक्त सचिव,


डारखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020

867

/विसो, रीची, दिनांक- २६।५।२१,

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, ढोरण्डा, रीची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


रमेश कुमार
23।५।२०२१

संयुक्त सचिव,


डारखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020

867


/विसो, रीची, दिनांक- २३।५।२१,

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, डारखण्ड विधान सभा, रीची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ढोरण्डा, रीची को डारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


रमेश कुमार
23।५।२०२१

संयुक्त सचिव,

डारखण्ड विधान-सभा, रीची।


रमेश कुमार
23।५।२१

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौची, दिनांक—२३।५।२१

संख्या—०१स्था०—९७/२०२०—४६८/वि०स०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२२९ के अधीन प्रदत्त सक्रियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०—२१ में गठित याचिका समिति को वर्ष २०२१—२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है—

०१. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा	स०वि०स०	सभापति
०२. श्री अमित कुमार मण्डल	स०वि०स०	सदस्य
०३. श्री ग्लेन जॉसेफ गॉलस्टन	स०वि०स०	सदस्य
०४. श्रीमती ममता देवी	स०वि०स०	सदस्या
०५. श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स०वि०स०	सदस्य।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रौची।

शापांक:—०१स्था०—९७/२०२०—४६९/वि०स०, रौची, दिनांक—२३।५।२१

प्रति— अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, सभापति याचिका समिति/श्री अमित कुमार मण्डल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, रांची / श्री ग्लेन जॉसेफ गॉलस्टन, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ श्रीमती ममता देवी, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा/ श्री दिनेश विलियम मराण्डी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, रांची/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाविवक्ता, झारखण्ड, रांची/महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची/प्रधान सचिव, नवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पैयजल एवं रुच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रांची।

शापांक:—०१स्था०—९७/२०२०—४६९/वि०स०, रौची, दिनांक—२३।५।२१

प्रति—स्थापन शाखा (१० प्रति मे), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाइन शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, रांची।
२३।५।२१
क०५०३०

869

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७ / 2020

/ विस०, रोची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/सचिव महोदय के आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

रोची २३।५।२१
संयुक्त सचिव,

राज्य संघ-सभा के सचिव-द्वारा २३।५।२१ को इसी तिथि विवरणीय अध्यक्षीय कार्यालय के सूचनार्थ प्रेषित है। इसके अनुसार अध्यक्षीय कार्यालय के सूचनार्थ प्रेषित है।

आरखण्ड विधान-सभा, रोची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७ / 2020

869

/ विस०, रोची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, ढोरण्डा, रोची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रोची २३।५।२१
संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान-सभा, रोची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७ / 2020

869

/ विस०, रोची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रोची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ढोरण्डा, रोची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रोची २३।५।२१
संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान-सभा, रोची।

२३।५।८।२।

(अधिकारी का नाम लिखें)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक— २५/५/२१

संख्या—०१स्था०—९७/२०२०—८७० /विस०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम—२३७(१) के अधीन प्रदत्त समितियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०-२१ में गठित लोक लेखा समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

०१. श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	स०विठ्स०	सभापति
०२. श्री अमित कुमार यादव	स०विठ्स०	सदस्य
०३. श्री सुखराम उरांव	स०विठ्स०	सदस्य
०४. श्री सुदिव्य कुमार	स०विठ्स०	सदस्य
०५. श्री नमन विकसल कौगाड़ी	स०विठ्स०	सदस्य
०६. श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स०विठ्स०	सदस्य।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स०विठ्स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आवेदन से,


(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

871 /विस०, राँची, दिनांक— २५/५/२१

झापांक:- ०१स्था०—९७/२०२० प्रति— श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, सभापति लोक लेखा समिति/ श्री अमित कुमार यादव, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची / श्री सुखराम उरांव, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ श्री सुदिव्य कुमार, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ श्री नमन विकसल कौगाड़ी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ श्री दिनेश विलियम मराण्डी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा /माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाप्रधानवता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/५/२०२१

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

१०४०३० —

02.

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020 871 / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति-स्वापन शाखा (10 प्रति मे), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर संचिव, / सभी संयुक्त संचिव, / सभी उप संचिव एवं सभी अवर संचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020 871 / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त संचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /संचिव महोदय के आप संचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं संचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020 871 / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति-कोषागार पदाधिकारी, संचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रीची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/2020 871 / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति-नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रीची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, रीची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रीची।

१८।५।२१

१८।५।२१
२६।०८।२१

संयुक्त संचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रीची।
१८।५।२१

१८।५।२१

आरखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रीची, दिनांक—२३/५/२१

संख्या—०१स्था०—९७/२०२०—८७२/विस०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि आरखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२३९ के अधीन प्रदत्त समितियों का प्रयोग करते हुए माननीय आज्ञा, आरखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०-२१ में गठित प्राककलन समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

०१. श्री दीपक बिलवा	स०वि०स०	सभापति
०२. श्री वैद्यनाथ राम	स०वि०स०	सदस्य
०३. श्री नारायण दास	स०वि०स०	सदस्य
०४. सुश्री अम्बा प्रसाद	स०वि०स०	सदस्य
०५. श्री लम्बोदर महतो	स०वि०स०	सदस्य।

श्री दीपक बिलवा, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अब्दवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

अज्ञा, आरखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

आरखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापाक—०१स्था०—९७/२०२०—८७३/विस०, रीची, दिनांक—२३/५/२१

प्रति— श्री दीपक, बिलवा, सभापति प्राककलन समिति/ श्री वैद्यनाथ राम, सदस्य, आरखण्ड विधान सभा, रीची / श्री नारायण दास, सदस्य, आरखण्ड विधान सभा/ सुश्री अम्बा प्रसाद, सदस्य, आरखण्ड विधान सभा/ श्री लम्बोदर महतो, सदस्य, आरखण्ड विधान सभा, रीची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महायिवक्ता, आरखण्ड, रीची/ महालेखाकार, आरखण्ड, रीची/ मुख्य सचिव, आरखण्ड सरकार, रीची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२३/५/२१

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापाक—०१स्था०—९७/२०२०—८७३/विस०, रीची, दिनांक—२३/५/२१


प्रति— स्थापन शाखा (१० प्रतियों में) / सेवा शाखा, / जनसम्पर्क शाखा, आरखण्ड विधान—सभा/ पुस्तकालय शाखा, / विधायी शाखा, / ऑनलाइन शाखा, आरखण्ड विधान—सभा/ सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, / सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, आरखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, आरखण्ड विधान—सभा, रीची।

02.


ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२० ८७३ / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, आवश्यक कार्यालय/
सचिव महोदय के आप सचिव को ब्रह्मा: माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
आरखण्ड विधान-सभा, रीची।


ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२० ८७३ / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:-कोशागार पदाधिकारी, सचिवालय कोशागार, लोरण्डा, रीची को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,
आरखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२० ८७३ / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
आरखण्ड विधान-सभा, रीची।

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


२३।५।२१

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अदीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
लोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

झारखण्ड विद्यान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- २३।५।२।

संख्या-०१स्था०-९७/२०२०- ८७४ /विस०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विद्यान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-241(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित सरकारी उपकरणों संबंधी समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है-

०१. श्री भूषण तिक्की	स०वि०स०	सभापति
०२. श्री चमरा लिण्डा	स०वि०स०	सदस्य
०३. श्री कमलेश कुमार सिंह	स०वि०स०	सदस्य
०४. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स०वि०स०	सदस्य
०५. श्रीमती पुष्पा देवी	स०वि०स०	सदस्य

श्री भूषण तिक्की, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विद्यान-सभा, राँची।

झापांक:- ०१स्था०-९७/२०२०- ८७५ /विस०, राँची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- श्री भूषण तिक्की सभापति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति/ श्री चमरा लिण्डा, सदस्य, झारखण्ड विद्यान सभा, राँची / श्री कमलेश कुमार सिंह, सदस्य, झारखण्ड विद्यान सभा/ श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, सदस्य, झारखण्ड विद्यान सभा/ श्रीमती पुष्पा देवी, सदस्य, झारखण्ड विद्यान सभा, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महारियका, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरलार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागांक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विद्यान-सभा, राँची।

झापांक:- ०१स्था०-९७/२०२०- ८७५ /विस०, राँची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- स्थापन शाखा (10 प्रति मे), /लेखा शाखा, /जनसन्पर्क शाखा, झारखण्ड विद्यान-सभा/ पुस्तकालय शाखा, /विद्यालयी शाखा, /ऑफिलाइन शाखा, झारखण्ड विद्यान-सभा/ सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, / सभी उप सचिव एवं सभी अधर सचिव, झारखण्ड विद्यान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विद्यान-सभा, राँची।

८०४०३०-

आपांक:- 01स्थान-97 / 2020 875 / विस्तृत, रीची, दिनांक- 23/5/21
 प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय
 / सचिव नहोदय के आचर सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
 आपांक का (1) संगत विषय के अनुसार इस तरह जारी किया गया है।
 संयुक्त सचिव,
 डाकखाल संचान-समा, रीची।

ज्ञापांक:- ०१स्था०-९७/२०२० ८७५ / विस०, रीढी, दिनांक- २३/५/२१
 प्रति:- कोषागार पदाधिकारी, संविवालय कोषागार, ढोरण्डा, रीढी को सुचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रीढी।

झारखण्ड विधानसभा, रो० ८७५ / विस०, रौंची, दिनांक २३/०२/२१
 प्रति:- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौंची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय
 ओरम्बा, रौंची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
 झारखण्ड विधान-सभा, रौंची।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३/५/२१

संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४७६, विंस०। एलद् छारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२३। (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भावनीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित प्रत्यायुक्त विधान सभिति ने वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०	सभापति
२. श्री बब्लु तिक्की	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री सुखराम उर्ही	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री सुदिव्य कुमार	स०वि०स०	सदस्य
५. श्री भूषण बड़ा	स०वि०स०	सदस्य।

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा सभिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित सभिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्भात होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष सभिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,



(नानेन्द्र प्रसाद) २३/५/२१

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४७७, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१।

प्रति :- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स०, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान सभिति/ श्री बब्लु तिक्की, स०वि०स०, सदस्य/ श्री सुखराम उर्ही, स०वि०स०, सदस्य/ श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स०, सदस्य/ श्री भूषण बड़ा, स०वि०स०, सदस्य/ मानवीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंची/ महात्मेशाकार, झारखण्ड, रौंची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, भवल निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं ट्वच्छावा विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


— २३/५/२०२१


(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४७८, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१।

प्रति :- द्व्यापन शाखा (१० प्रतियों में), लेखा शाखा/ जनसंघर्षक शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑफिलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


— २३/५/२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

— २३/५/२०२१ —

सांख्यिकीय विधान सभा कार्यपाल

संयुक्त सचिव

०२ :-

कापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ८७७, विंस०, रौची, दिनांक -२३/५/२१,

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, शारथाण्ड विधान सभा, रौची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आपा० सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रौची
२३/५/२०२१
संयुक्त सचिव

शारथाण्ड विधान सभा, रौची।

कापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ८७७, विंस०, रौची, दिनांक -२३/५/२१,

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, ढोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

रौची
२३/५/२०२१
संयुक्त सचिव

शारथाण्ड विधान सभा, रौची।

कापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ८७७, विंस०, रौची, दिनांक -२३/५/२१,

प्रति :- बोडल पदाधिकारी, शारथाण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय गुप्तगालय, ढोरण्डा, रौची को शारथाण्ड राजपत्र (ई-जाट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रौची
२३/५/२०२१
संयुक्त सचिव

शारथाण्ड विधान सभा, रौची।

०५/५/२१
२३/५/२१

प्रति :- बोडल पदाधिकारी, शारथाण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय गुप्तगालय, ढोरण्डा, रौची को शारथाण्ड राजपत्र (ई-जाट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रति :- बोडल पदाधिकारी, शारथाण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय गुप्तगालय, ढोरण्डा, रौची को शारथाण्ड राजपत्र (ई-जाट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

झारखण्ड विद्यान सभा संचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३।५।२।

संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८७८ / विद्या०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विद्यान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२५९ एवं २६४ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए विनम्र प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्री लोकेन्द्र हेमब्रह्म	स०वि०स०	सभापति
२. श्री कोचे मुण्डा	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री अग्नित कुमार यादव	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री नमन विकसल कोनगाड़ी	स०वि०स०	सदस्य
५. श्री विकास कुमार मुण्डा	स०वि०स०	सदस्य।

श्री लोकेन्द्र हेमब्रह्म, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा संचिव इसके संचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्णय होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यया समिति के पुर्वार्णित (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

नोट :- यह समिति आदिन जनजाति कल्याण से संबंधित विषयों को भी देखेगी।

अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा के आदेश से,

(अ.प्रसाद) २३।५।२।
(महेन्द्र प्रसाद)

संचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८७९ / विद्या०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- श्री लोकेन्द्र हेमब्रह्म, स०वि०स०, सभापति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति/ श्री कोचे मुण्डा, स०वि०स०, सदस्य/ श्री अग्नित कुमार यादव, स०वि०स०, सदस्य/ श्री नमन विकसल कोनगाड़ी, स०वि०स०, सदस्य/ श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स०, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान संचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान संचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान संचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान संचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाधारा/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
(रंजीत कुमार)

संयुक्त संचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८८० / विद्या०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- स्थापन शास्त्रा (१० प्रतिच्छृंखला), लेखा शास्त्रा/ जनसञ्चयक शास्त्रा/ पुस्तकालय शास्त्रा/ विद्यार्थी शास्त्रा/ ऑफिलाईन शास्त्रा/ सभी आपर संचिव, संयुक्त संचिव, उप संचिव एवं अवर संचिव, झारखण्ड विद्यान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
(रंजीत कुमार)

संयुक्त संचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

हा० ३०-

ग्रामपाली विद्यालय समाजी सम्बन्ध

-- ०२ --

ज्ञापांक :-०१स्था०-१७/२०२०- ४७९/ वि०स०, रौची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यालय समा० रौची, संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्ट सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः मानवीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रौची
२३।५।२।२

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय समा०, रौची।

ज्ञापांक :-०१स्था०-१७/२०२०- ४७९/ वि०स०, रौची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, जेपाल लाउस, डोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रौची
२३।५।२।२

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय समा०, रौची।

ज्ञापांक :-०१स्था०-१७/२०२०- ४७९/ वि०स०, रौची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- लोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यालय समा०, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रौची
२३।५।२।२

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय समा०, रौची।

०५।६।२०२१
२३।५।२।२

(अधिकारी)

रौची

संयुक्त सचिव

इस दस्तावेज़ निम्न चेतावनी के साथ सहज रूप से इसका संपादन करना चाहिए। इसका संपादन करने के बाद इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करना चाहिए। इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करने के बाद इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करना चाहिए। इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करने के बाद इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करना चाहिए। इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करने के बाद इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करना चाहिए।

(मास्टर रिफर)

मास्टर रिफर

संयुक्त सचिव

इस दस्तावेज़ निम्न चेतावनी के साथ सहज रूप से इसका संपादन करना चाहिए। इसका संपादन करने के बाद इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करना चाहिए। इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करने के बाद इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करना चाहिए। इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करने के बाद इसका उपरी छायाचित्र को उत्तराधिकारी के साथ संगत बायोडायामिक वितरण करना चाहिए।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौची, दिनांक :- २३।५।२।


संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४८० / वि०स०। एतद् छारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२६४ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानवीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा छारा वर्ष २०२०-२१ में गठित महिला एवं बाल विकास समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्रीमती सीता मुर्म	स०वि०स०	सभापति
२. डॉ० जीरा यादव	स०वि०स०	सदस्या
३. श्री राज सिंहा	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री सोनाराम सिंकु	स०वि०स०	सदस्य

श्रीमती सीता मुर्म, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव द्वारा नियुक्त होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(गठेन्द्र प्रसाद) २३।५।२।

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौची।


स्थापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४८१ / वि०स०, रौची, दिनांक - २३।५।२।
प्रति :- श्रीमती सीता मुर्म, स०वि०स०, सभापति, महिला एवं बाल विकास समिति/डॉ० जीरा यादव, स०वि०स०, सदस्या/ श्री राज सिंहा, स०वि०स०, सदस्य/ श्री सोनाराम सिंकु, स०वि०स०, सदस्य/ मानवीया राज्यपाल के प्रधान सचिव, महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पैयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सारकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२३।५।२।
(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौची।

स्थापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४८१ / वि०स०, रौची, दिनांक - २३।५।२।
प्रति :- स्थापन शाखा (१० प्रतिव्यों में), लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑफिलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२३।५।२।
(रंजीत कुमार)


संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौची।

४०४।३०-


ज्ञापांक :-०१स्था०-९७/२०२०- ८६।/ विंस०, रौची, दिनांक - २३/०९/२१

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आपा० सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः जागरनीय अध्यक्ष मठोदय एवं सचिव भठोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


23/09/2021
संयुक्त सचिव


ज्ञापांक :-०१स्था०-९७/२०२०- ८७।/ विंस०, रौची, दिनांक - २३/०९/२१

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/09/2021
संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रौची।


ज्ञापांक :-०१स्था०-९७/२०२०- ८८।/ विंस०, रौची, दिनांक - २३/०९/२१

प्रति :- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय गुदगालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-जट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23/09/2021
संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रौची।

ज्ञापांक :-०१स्था०-९७/२०२०- १०८।/ विंस०, रौची, दिनांक - २३/०९/२१

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आपा० सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः जागरनीय अध्यक्ष मठोदय एवं सचिव भठोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


23/09/21

ज्ञापांक :-०१स्था०-९७/२०२०- १०९।/ विंस०, रौची, दिनांक - २३/०९/२१

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आपा० सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः जागरनीय अध्यक्ष मठोदय एवं सचिव भठोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक :-०१स्था०-९७/२०२०- ११०।/ विंस०, रौची, दिनांक - २३/०९/२१

ज्ञारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रीची, दिनांक— २३।५।२१

संख्या—०१स्था०—९७/२०२० ८८२ /विठ०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि ज्ञारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२४३ एवं २५१ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, ज्ञारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०—२१ में गठित सरकारी आश्वासन एवं आदास समिति को वर्ष २०२१—२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :—

०१. श्री निरल पुरती	स०विठ०स०	सभापति
०२. श्री बन्धु तिकी	स०विठ०स०	सदस्य
०३. श्री दशरथ गागराई	स०विठ०स०	सदस्य
०४. श्री अमर कुमार बाउरी	स०विठ०स०	सदस्य
०५. श्री समीर कुमार महान्ती	स०विठ०स०	सदस्य।

श्री निरल पुरती इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के मुन्हाठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, ज्ञारखण्ड विधान सभा के आदेश से

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

ज्ञारखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२० ८८३ /विस०, रीची, दिनांक— २३।५।२१।

प्रति— श्री निरल पुरती सभापति, सरकारी आश्वासन एवं आदास समिति/ श्री बन्धु तिकी, सदस्य, ज्ञारखण्ड विधान सभा, रीची / श्री दशरथ गागराई, सदस्य, ज्ञारखण्ड विधान सभा/ श्री अमर कुमार बाउरी, सदस्य, ज्ञारखण्ड विधान सभा/ श्री समीर कुमार महान्ती सिंह, सदस्य, ज्ञारखण्ड विधान सभा/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाप्रिवक्ता, ज्ञारखण्ड, रीची/ महालेखाकार, ज्ञारखण्ड, रीची/ मुख्य सचिव, ज्ञारखण्ड सरकार, रीची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेशजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, कर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

ज्ञारखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२० ८८३ /विस०, रीची, दिनांक— २३।५।२१।

प्रति— स्थापन शाखा (१० प्रतियों में) / लेखा शाखा, / जनसम्पर्क शाखा, ज्ञारखण्ड विधान—सभा/ पुस्तकालय शाखा, / विद्यायी शाखा, / ऑनलाईन शाखा, ज्ञारखण्ड विधान—सभा/ सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, / सभी उप सचिव एवं सभी अधर्म सचिव, ज्ञारखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव, ज्ञारखण्ड विधान—सभा, रीची।

सारखण्ड विद्यान समिति

02.

ज्ञापांक:- 01स्था०-१८७ / २०२० ८६३ / विस०, रौची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / सचिव महोदय के आरा सचिव को झमश: माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

रौची
२३।५।२०२१

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विद्यान-समा, रौची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-१८७ / २०२० ८६३ / विस०, रौची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, ढोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रौची
२३।५।२०२१

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विद्यान-समा, रौची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-१८७ / २०२० ८६३ / विस०, रौची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:- नीडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यान समा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ढोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रौची
२३।५।२०२१

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विद्यान-समा, रौची।

४६
२३।५।२१

प्रति:- नीडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यान समा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ढोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रति:- नीडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यान समा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ढोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक— २३।५।२१,

संख्या—०१स्पा०—९७/२०२०—८४५ /विस०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम—२५३(१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०-२१ में गठित प्रश्न एवं घ्यानाकर्षण समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से प्रस्तारित किया जाता है—

०१. श्री रामदास सोरेन	स०विठ०स०	सभापति
०२. श्री दशरथ गागराई	स०विठ०स०	सदस्य
०३. श्री विकास कुमार मुण्डा	स०विठ०स०	सदस्य
०४. श्री समरी लाल	स०विठ०स०	सदस्य
०५. श्री राजेश कच्छप	स०विठ०स०	सदस्य।

श्री रामदास सोरेन, स०विठ०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के अधीक्षण से,

(महेन्द्र प्रसाद) २३।५।२१

सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रौंची।

झापांकः—०१स्पा०—९७/२०२०—८४५ /विस०, रौंची, दिनांक—२३।५।२१।

प्रति— श्री रामदास सोरेन, सभापति प्रश्न एवं घ्यानाकर्षण समिति/ श्री दशरथ गागराई, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, रौंची / श्री विकास कुमार मुण्डा, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ श्री समरी लाल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ श्री राजेश कच्छप, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, रौंची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेंजजल एवं रवधुता विभाग/ प्रधान सचिव, कर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२३।५।२०२१

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रौंची।

झापांकः—०१स्पा०—९७/२०२०—८४५ /विस०, रौंची, दिनांक—२३।५।२१।

प्रति— स्थान शाखा (१० प्रति में) / लेखा शाखा, / जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/ पुस्तकालय शाखा, / विधायी शाखा, / ऑफिसलाईन शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/ सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, / सभी उप सचिव एवं सभी अपर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२३।५।२०२१

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, रौंची।

02.

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७ / २०२० 885 / विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२।


प्रति—माननीय अव्यक्त महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / सचिव महोदय के आकास सचिव को क्रमशः माननीय अव्यक्त एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।


23।५।२०२१
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७ / २०२० 885


प्रति—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रीची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23।५।२०२१
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७ / २०२० 885

प्रति— नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रीची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, रीची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23।५।२०२१
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

01०
23।५।२०२१

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३।५।२१

८८६


संख्या-०१ द्या०-९७/२०२०- वि०स०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जावकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२२३ (१) के अधीन प्रदत्त शपितवों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित शून्यकाल समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|-----------------------------|---------|--------|
| १. श्री प्रदीप यादव | स०वि०स० | सभापति |
| २. श्री जयप्रकाश भाई पटेल | स०वि०स० | सदस्य |
| ३. श्री विरंधी नारायण | स०वि०स० | सदस्य |
| ४. श्री उलेन जोरोफ गॉलस्टेन | स०वि०स० | सदस्य |
| ५. श्री किशुन कुमार दास | स०वि०स० | सदस्य। |

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्णय होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,



(महेन्द्र प्रसाद) २३।५।२१

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

कार्यालय :- ०१ द्या०-९७/२०२०- वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२१।

प्रति :- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०, सभापति, शून्यकाल समिति/ श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स०वि०स०, सदस्य/ श्री विरंधी नारायण, स०वि०स०, सदस्य/ श्री उलेन जोरोफ गॉलस्टेन, स०वि०स०, सदस्य/ श्री किशुन कुमार दास, स०वि०स०, सदस्य/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाप्रियकार, झारखण्ड, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



२४।५।२०२१
(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

कार्यालय :- ०१ द्या०-९७/२०२०- वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२१।

प्रति :- द्यापन शास्त्रा (१० प्रतिवर्षीय में)/ लेखा शास्त्रा/ जनसम्पर्क शास्त्रा/ पुस्तकालय शास्त्रा/ विधायी शास्त्रा/ ऑनलाइन शास्त्रा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२३।५।२०२१
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

२०।५।२०२१

ज्ञापांक :- 01 स्था 0-97/2020- ८९७, विंस०, रौची, दिनांक - २३।५।२।
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, गा० अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः जागीरीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रौची
23।५।२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची।

ज्ञापांक :- 01 स्था 0-97/2020- ८९८, विंस०, रौची, दिनांक - २३।५।२।
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रौची
23।५।२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची।

ज्ञापांक :- 01 स्था 0-97/2020- ८९९, विंस०, रौची, दिनांक - २३।५।२।
प्रति :- बोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रौची
23।५।२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची।

रौची
23।५।२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची।

झारखण्ड विद्यान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३।५।२।

४४८


संख्या-०१ द्व्या०-७७/२०२०- / वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विद्यान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२२३ (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जानकारी अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित विद्यायक निधि अनुब्रवण समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	स०वि०स०	सभापति
२. श्री बैद्यनाथ राम	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री चमरा लिण्डा	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री नवीन जायसवाल	स०वि०स०	सदस्य
५. श्री राजेश कच्छप	स०वि०स०	सदस्य।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव हुसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद) २३।५।२।

सचिव


झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

आपांक :-०१ द्व्या०-७७/२०२०-

४४९

/ वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स०, सभापति, विद्यायक निधि अनुब्रवण समिति/ श्री बैद्यनाथ राम, स०वि०स०, सदस्य/ श्री चमरा लिण्डा, स०वि०स०, सदस्य/ श्री नवीन जायसवाल, स०वि०स०, सदस्य/ श्री राजेश कच्छप, स०वि०स०, सदस्य/ मानकीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधियक्ता, झारखण्ड, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, भवल निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं ट्वच्छा विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२३।५।२।

(रेजीट बुमार)

संयुक्त सचिव


झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

आपांक :-०१ द्व्या०-७७/२०२०-

४४९

/ वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- द्व्यापन शाखा (१० प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विद्यार्थी शाखा/ ऑफिलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विद्यान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२३।५।२।

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

२३।५।२।

ज्ञापांक :- ०१ स्था०-९७/२०२०- ८८९, विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१,
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, ज्ञा० अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची/ संयुक्त
संघिव, अध्यक्षीय कायलिय/ आप्त संघिव, संघिवीय कायलिय को कमशः जानलीय अध्यक्ष
महोदय एवं संघिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रौची ज्ञापांक नं ८८९ के अनुसार निम्नलिखित बाबु ज्ञापांक नं ८८९ के अनुसार निम्नलिखित बाबु
संघिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक :- ०१ स्था०-९७/२०२०- ८८९, विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१,
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, संघिवालय कोषागार, बेपाल हाउस, डोरण्डा, रौची को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रौची ज्ञापांक नं ८८९ के अनुसार निम्नलिखित बाबु ज्ञापांक नं ८८९ के अनुसार निम्नलिखित बाबु
संघिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक :- ०१ स्था०-९७/२०२०- ८८९, विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१,
प्रति :- लोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय
गुदणालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक नं प्रकाशनार्थ
प्रेषित।

रौची ज्ञापांक नं ८८९ के अनुसार निम्नलिखित बाबु ज्ञापांक नं ८८९ के अनुसार निम्नलिखित बाबु
संघिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक :- ०१ स्था०-९७/२०२०- ८८९, विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१,
प्रति :- लोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय
गुदणालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक नं प्रकाशनार्थ
प्रेषित।

ज्ञापांक :- ०१ स्था०-९७/२०२०- ८८९, विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१,
प्रति :- लोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय
गुदणालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक नं प्रकाशनार्थ
प्रेषित।

ज्ञापांक :- ०१ स्था०-९७/२०२०- ८८९, विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१,
प्रति :- लोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विद्यालय सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय
गुदणालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक नं प्रकाशनार्थ
प्रेषित।

झारखण्ड विद्यान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३।५।२।


संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४९० , वि०स०। उतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विद्यान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के गियम-२५७ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित पर्यावरण एवं प्रदूषण जियंब्रण समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए गियम प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्रीमती संजीवा महतो	स०वि०स०	सभापति
२. श्री बन्धु तिकी	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री संजीव सरदार	स०वि०स०	सदस्य
४. श्रीमती ममता देवी	स०वि०स०	सदस्य
५. श्री जिम्मा सुसारण होरो	स०वि०स०	सदस्य।

श्रीमती संजीवा महतो, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।


विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना जिर्त होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुर्वांग (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद) २३।५।२।
सचिव


झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४९१, वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।
प्रति :- श्रीमती संजीवा महतो, स०वि०स०, सभापति, पर्यावरण एवं प्रदूषण जियंब्रण समिति/ श्री बन्धु तिकी, स०वि०स०, सदस्य/ श्री संजीव सरदार, स०वि०स०, सदस्य/ श्रीमती ममता देवी, स०वि०स०, सदस्य/ श्री जिम्मा सुसारण होरो, स०वि०स०, सदस्य/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाएवक्ता, झारखण्ड, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, भवत जिर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं रसायन सचिव/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त के सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रंजीत कुमार) २३।५।२।
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४९१, वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।
प्रति :- द्व्यापन शाखा (१० प्रतिलिंगों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विद्यायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अधर सचिव, झारखण्ड विद्यान सभा को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रंजीत कुमार) २३।५।२।
संयुक्त सचिव
झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

४०४०३०-

ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ८९४...../ विंस०, रीची, दिनांक - २३/५/२१
 प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, ज्ञा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रीची/ संयुक्त संघिय, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्ट संघिय, संघियीय कार्यालय को कमशा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रीची
23/5/2021
संयुक्त संघिय

ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ८९१...../ विंस०, रीची, दिनांक - २३/५/२१
 प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, संघियालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रीची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रीची
23/5/2021
संयुक्त संघिय

ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ८९१...../ विंस०, रीची, दिनांक - २३/५/२१
 प्रति :- बोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रीची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रीची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रीची
23/5/2021
संयुक्त संघिय

झारखण्ड विधान सभा, रीची।

रीची
23/5/2021

ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ११४...../ विंस०, रीची, दिनांक - २३/५/२१
 प्रति :- अधिकारी विधान सभा, रीची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रीची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

झारखण्ड विधान सभा, रीची।

रीची
23/5/2021

ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- ११४...../ विंस०, रीची, दिनांक - २३/५/२१
 प्रति :- अधिकारी विधान सभा, रीची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रीची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

झारखण्ड विधान सभा, रीची।

रीची
23/5/2021

झारखण्ड विधान सभा, रीची।

२०२१-५-२३

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३।५।२।

संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८९२, वि०स०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२५५ (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानवीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. डॉ० सरफराज अहमद	स०वि०स०	सभापति
२. श्री बैद्यनाथ राम	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री अमित कुमार भंडल	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री आलोक कुमार चौरसिया	स०वि०स०	सदस्य
५. श्रीमती पुष्पा देवी	स०वि०स०	सदस्य।

डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव हसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(अहेन्द्र प्रसाद) २३।५।२।

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

ज्ञापाक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८९३, वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स०, सभापति, जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति/ श्री बैद्यनाथ राम, स०वि०स०, सदस्य/ श्री अमित कुमार भंडल, स०वि०स०, सदस्य/ श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स०, सदस्य/ श्रीमती पुष्पा देवी, स०वि०स०, सदस्य/ मानवीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महायिवक्ता, झारखण्ड, रौंची/ जहालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ गुरुदय सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वचता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
२३।५।२०२१

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

ज्ञापाक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८९३, वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- द्व्यापन शाखा (१० प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसभ्यक शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
२३।५।२०२१

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

२३।५।२०२१

સંયુક્ત સચિવ રાજીની અપેક્ષા

-:: 02 ::-

જાપાંક :- 01 સ્વા 0-97/2020 - 893.../ વિભાગ, રોચી, દિનાંક - 23/5/21

પ્રતિ :- વિશેષ કાર્ય પદાધિકારી, મારો અધ્યક્ષ, ઝારખણ્ડ વિદ્યાન સમા, રોચી, સંયુક્ત સચિવ, અધ્યક્ષીય કાર્યાલય આપણ સચિવ, સચિવીય કાર્યાલય કો કમશા: માલનીય અધ્યક્ષ મહોદય એવં સચિવ મહોદય કે સૂચનાર્થ પ્રેરિત।

રોચી
23/5/21

સંયુક્ત સચિવ

ઝારખણ્ડ વિદ્યાન સમા, રોચી।

જાપાંક :- 01 સ્વા 0-97/2020 - 893.../ વિભાગ, રોચી, દિનાંક - 23/5/21

પ્રતિ :- કોષાગાર પદાધિકારી, સચિવાલય કોષાગાર, નેપાલ હાઉસ, ડોરણા, રોચી કો સૂચનાર્થ એવં આધશ્યક કાર્યવાઈ હેતુ પ્રેરિત।

રોચી
23/5/21

સંયુક્ત સચિવ

ઝારખણ્ડ વિદ્યાન સમા, રોચી।

જાપાંક :- 01 સ્વા 0-97/2020 - 893.../ વિભાગ, રોચી, દિનાંક - 23/5/21

પ્રતિ :- ગોઠલ પદાધિકારી, ઝારખણ્ડ વિદ્યાન સમા, રોચી એવં આરીક્ષક, રાજકીય સુદ્ધાનાલય, ડોરણા, રોચી કો ઝારખણ્ડ રાજપત્ર (ઇ-ગજટ) કે અસાધારણ અંક જે પ્રકાશનાર્થ પ્રેરિત।

રોચી
23/5/21

સંયુક્ત સચિવ

ઝારખણ્ડ વિદ્યાન સમા, રોચી।

3/13
23/5/21

સંયુક્ત સચિવ
રોચી
23/5/21

સંયુક્ત સચિવ
રોચી
23/5/21

સંયુક્ત સચિવ
રોચી
23/5/21

झारखण्ड विद्यान सभा संचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३।५।२।

संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८९५, विंस०। एतद झारा सर्वसाधारण की जालकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विद्यान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२२३ (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मालवीय अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा झारा वर्ष २०२०-२१ में जित गैर सरकारी संकल्प समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए जिम्मा प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	स०वि०स०	सभापति
२. श्री दशरथ गालराई	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री सोनाराम सिंह	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री संजीव सरदार	स०वि०स०	सदस्य
५. श्री बसबत सोरेन	स०वि०स०	सदस्य।

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स० हस समिति के सभापति एवं सभा संचिव हसके संचिव होंगे।

विस्तारित समिति वा कार्यकाल अधिसूचना जिर्त होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

संचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

झार्पाक -०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८९५, विंस०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स०, सभापति, गैर सरकारी संकल्प समिति/ श्री दशरथ गालराई, स०वि०स०, सदस्य/ श्री सोनाराम सिंह, स०वि०स०, सदस्य/ श्री संजीव सरदार, स०वि०स०, सदस्य/ श्री बसबत सोरेन, स०वि०स०, सदस्य/ मालवीय राज्यपाल के प्रधान संचिव/ महाप्रधान, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान संचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान संचिव, पेयजल एवं रसायन विभाग/ प्रधान संचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अध्यक्ष सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त संचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

झार्पाक -०१ द्व्या०-९७/२०२०- ८९५, विंस०, रौंची, दिनांक - २३।५।२।

प्रति :- स्थापन शाखा (१० प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जलसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ अंगिलाहंड शाखा/ सभी अपर संचिव, संयुक्त संचिव, उप संचिव एवं अवर संचिव, झारखण्ड विद्यान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त संचिव

झारखण्ड विद्यान सभा, रौंची।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- २३।५।२१
४९६


संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- / वि०स०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के विचम-२२३ (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानवीय अध्ययन, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित पुस्तकालय विकास समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए लिङ्ग प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्री इरफान अंसारी	स०वि०स०	सभापति
२. श्री तुल्लू महतो	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री मंगल कालिन्दी	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री हन्दजीत महतो	स०वि०स०	सदस्य
५. श्रीमती पूर्णिमा नीरज शिंह	स०वि०स०	सदस्य

श्री इरफान अंसारी, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की लिखि से एक वर्ष तक के लिए अध्ययन समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,



(महेन्द्र प्रसाद) २३।५।२१

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४९७।/ वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२१

प्रति :- श्री इरफान अंसारी, स०वि०स०, सभापति, पुस्तकालय विकास समिति/ श्री तुल्लू महतो, स०वि०स०, सदस्य/ श्री मंगल कालिन्दी, स०वि०स०, सदस्य/ श्री हन्दजीत महतो, स०वि०स०, सदस्य/ श्रीमती पूर्णिमा नीरज शिंह, स०वि०स०, सदस्य/ मानवीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ गठाधिकरका, झारखण्ड, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ तुल्लू सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को युच्चार्य एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

झापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- ४९८।/ वि०स०, रौंची, दिनांक - २३।५।२१

प्रति :- द्व्यापन शास्त्रा (१० प्रतियों गे)/ लेखा शास्त्रा/ जनसन्पर्क शास्त्रा/ पुस्तकालय शास्त्रा/ विधायी शास्त्रा/ औंनिलाईन शास्त्रा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

४९८।५।२१

-:: 02 ::-

झापांक :- ०१ रघा०-९७/२०२० - ८९८, विठ्ठल, रौची, दिनांक - २३।५।२१
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौची/ संयुक्त संघिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप संघिव, संघिवीय कार्यालय को कमशः जाननीय अध्यक्ष महोदय एवं संघिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

रौची
२३।५।२०२१
संयुक्त संघिव

झापांक :- ०१ रघा०-९७/२०२० - ८९८, विठ्ठल, रौची, दिनांक - २३।५।२१
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, संघिवालय कोषागार, बेपाल हाउस, डोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रौची
२३।५।२०२१
संयुक्त संघिव

झापांक :- ०१ रघा०-९७/२०२० - ८९८, विठ्ठल, रौची, दिनांक - २३।५।२१
प्रति :- बोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रौची
२३।५।२०२१
संयुक्त संघिव

झारखण्ड विधान सभा, रौची।

रौची
२३।५।२०२१
संयुक्त संघिव

झारखण्ड विधान सभा, रौची।

रौची
२३।५।२०२१
संयुक्त संघिव

झारखण्ड विधान सभा, रौची।

झारखण्ड विधान सभा संविवालय

अधिसूचना

रीची, दिनांक— २३।५।२१


संख्या—०१स्था०—९७/२०२०— ८१८ /विस०। एतद द्वारा सर्वसामारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२२३(१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०-२१ में गठित अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

०१. श्री रामचन्द्र चन्द्रवर्णी	स०विठ०स०	सभापति
०२. श्री मथुरा प्रसाद महतो	स०विठ०स०	सदस्य
०३. श्री मनीष जायसवाल	स०विठ०स०	सदस्य
०४. डॉ नीरा यादव	स०विठ०स०	सदस्या
०५. श्री समीर कुमार महान्ती	स०विठ०स०	सदस्य।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवर्णी, स०विठ०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के/आदेश से,



(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२०— ८१९ /विस०, रीची, दिनांक— २३।५।२।

प्रति— श्री रामचन्द्र चन्द्रवर्णी, सभापति, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति/ श्री मथुरा प्रसाद महतो, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, रीची / श्री मनीष जायसवाल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ डॉ नीरा यादव, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा/ श्री समीर कुमार महान्ती, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाप्रबल, रीची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रीची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रीची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(रक्षीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२०— ८१९ /विस०, रीची, दिनांक— २३।५।२।

प्रति— स्थापन शाखा (१० प्रति मे), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/ पुस्तकालय शाखा, /विभागीय शाखा, /ऑनलाइन शाखा, झारखण्ड विधान—सभा/ सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, / सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रक्षीत कुमार)

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, रीची।

२०२०-२१-

02.

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२० ८९९ /विस०, रौची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति—माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, आयोगीय कार्यालय
/सचिव महोदय के आप सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

*रौची ८९९
२३।५।२०२०*

संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान—सभा, रौची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२० ८९९ /विस०, रौची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*रौची ८९९
२३।५।२०२०*

संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान—सभा, रौची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२० ८९९ /विस०, रौची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

*रौची ८९९
२३।५।२०२०*

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान—सभा, रौची।

२३।५।२०२०

प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची, अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची, अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची, अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची, अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची, अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची, अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रति— नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रौची, अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय
डोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई—गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आरखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रीची, दिनांक— २३।५।२१

संख्या—०१स्था०—९७/२०२०—१५० /विस०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि आरखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२६१ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, आरखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष—२०२०-२१ में निवेदन समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

०१. श्री उमाशक्तर अकेला	स०विठ्स०	सभापति
०२. श्री भूषण बड़ा	स०विठ्स०	सदस्य
०३. श्री मंगल कालिन्दी	स०विठ्स०	सदस्य
०४. श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स०विठ्स०	सदस्या
०५. सुश्री अम्बा प्रसाद	स०विठ्स०	सदस्या।

श्री उमाशक्तर अकेला, स०विठ्स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, आरखण्ड विधान सभा के अधिकारी,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,
आरखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२०—१०। /विस०, रीची, दिनांक— २३।५।२१

प्रति— श्री उमाशक्तर अकेला, सभापति निवेदन समिति/ श्री भूषण बड़ा, सदस्य, आरखण्ड विधान सभा, रीची / श्री मंगल कालिन्दी, सदस्य, आरखण्ड विधान सभा/ श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, सदस्या, आरखण्ड विधान सभा/ सुश्री अम्बा प्रसाद, सदस्या, निवेदन समिति, आरखण्ड विधान सभा, रीची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिकारी, आरखण्ड, रीची/ महालेखाकार, आरखण्ड, रीची/ मुख्य सचिव, आरखण्ड सरकार, रीची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं रबच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२३।५।२०२१

(रजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२०—१०। /विस०, रीची, दिनांक— २३।५।२१

प्रति—स्थापन शाखा (१० प्रतियो में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, आरखण्ड विधान—सभा/ पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाइन शाखा, आरखण्ड विधान—सभा/ सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, / सभी उप सचिव एवं सभी उपर सचिव, आरखण्ड विधान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२३।५।२०२१

संयुक्त सचिव, आरखण्ड विधान—सभा, रीची।

२०२१ मे ३०-

02.

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२०..... १०। /विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / सचिव महोदय के आप सचिव को क्रमसः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

रीची २३।५।२०२१

संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२०..... ११। /विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रीची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रीची २३।५।२०२१

संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान-सभा, रीची।

ज्ञापांक:- 01स्था०-९७/२०२०..... १०। /विस०, रीची, दिनांक- २३।५।२।

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, आरखण्ड विधान सभा, रीची एवं अधीकार, राजकीय मुद्राशालय डोरण्डा, रीची को आरखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रीची २३।५।२०२१

संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विधान-सभा, रीची।

रीची २३।५।२०२१

ज्ञानराज्य विद्यालय सभा संचिवालय

अधिसूचना

रीची, दिनांक :- 23/५/२१

१०२

संख्या-०१ द्व्या०-७७/२०२०-

विंस०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की

जालकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि ज्ञानराज्य विद्यालय सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के जिम्मेदार (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जालनीय अध्यक्ष, ज्ञानराज्य विद्यालय सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित सदाचार समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए जिम्मे प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|--------------------------|---------|--------|
| १. श्री केदार हाजरा | स०वि०स० | सभापति |
| २. श्री रणधीर कुमार सिंह | स०वि०स० | सदस्य |
| ३. श्री समीर कुमार भाऊबी | स०वि०स० | सदस्य |
| ४. श्री जिगा सुसारण होरो | स०वि०स० | सदस्य। |

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना विर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अद्यता समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्ण घटित हो) तक के लिए होगा।

नोट :- यह समिति मृत सरकारी सेवकों के उपादान, वैश्व एवं अनुकरण आधारित विद्युक्तियों के नामलों को भी देखेगी।

अध्यक्ष, ज्ञानराज्य विद्यालय सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव

ज्ञानराज्य विद्यालय सभा, रीची।

१०३, विंस०, रीची, दिनांक - २३/५/२१।

प्रति :- श्री केदार हाजरा, स०वि०स०, सभापति, सदाचार समिति, श्री रणधीर कुमार सिंह, स०वि०स०, सदस्य, श्री समीर कुमार भाऊबी, स०वि०स०, सदस्य, श्री जिगा सुसारण होरो, स०वि०स०, सदस्य, मानवीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, महाधिवक्ता, ज्ञानराज्य, रीची, भालोखाकार, ज्ञानराज्य, रीची, मुख्य सचिव, ज्ञानराज्य सरकार, रीची, प्रधान सचिव, भवन विभाग, प्रधान सचिव, पेयजल एवं उच्चकाला विभाग, प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, टांसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अल्प सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञानराज्य विद्यालय सभा, रीची।

१०३, विंस०, रीची, दिनांक - २३/५/२१।

प्रति :- स्वापन शाखा (१० प्रतियों में), लेखा शाखा, जनसाक्षरक शाखा, पुस्तकालय शाखा, विद्यार्थी शाखा, अँगिलाईन शाखा, सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अद्यत सचिव, ज्ञानराज्य विद्यालय सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव


ज्ञानराज्य विद्यालय सभा, रीची।

स्नायुक्त संघ राजीव गांधी अनुसंधान

-:: 02 ::-

ज्ञापांक :- ०१ स्था० - ९७/२०२० - १०३ / विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१


प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यात्म, झारखण्ड विधान सभा, रौची/ संयुक्त संघिव, अध्यादीश कार्यालय/ आप्ट संघिव, संघिवीय कार्यालय को कमांडः मानवीय अध्यक्ष महोदय एवं संघिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


23/५/२०२१

संयुक्त संघिव

ज्ञापांक :- ०१ स्था० - ९७/२०२० - १०३ / विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१


प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, संघिवालय कोषागार, सेपाल हाउस, ढोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/५/२०२१

संयुक्त संघिव

ज्ञापांक :- ०१ स्था० - ९७/२०२० - १०३ / विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- बोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय नुदगालय, ढोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के अलाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23/५/२०२१

संयुक्त संघिव

विंस०, रौची, झारखण्ड, भारत

संघिव
राजीव गांधी

२३/५/२१

ज्ञापांक :- ०१ स्था० - ९७/२०२० - १०३ / विंस०, रौची, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- विंस०, रौची, झारखण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय नुदगालय, ढोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के अलाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजीव गांधी)

राजीव गांधी

विंस०, रौची, झारखण्ड

ज्ञापांक :- ०१ स्था० - ९७/२०२० - १०३ / विंस०, रौची, झारखण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय नुदगालय, ढोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के अलाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजीव गांधी)

विंस०, रौची, झारखण्ड

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंची, दिनांक :- 23/५/२१

संख्या-०१ दिनांक १०५ / विंस०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जागरूकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२२३ (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्याठन विकास समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्री सुदेश कुमार भहतो	स०विंस०	सभापति
२. श्री अनबत कुमार ओड्हा	स०विंस०	सदस्य
३. श्री कुशवाहा शशिभूषण गेहता	स०विंस०	सदस्य
४. श्री लम्बोदर भहतो	स०विंस०	सदस्य
५. श्री कुमार जय भंगल (अनुप सिंह)	स०विंस०	सदस्य।

श्री सुदेश कुमार भहतो, स०विंस० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो श्री पूर्व प्रियट हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

23/५/२१
(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

सापोंक ०१ दिनांक १०५ / विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- श्री सुदेश भहतो, स०विंस०, सभापति, युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्याठन विकास समिति/ श्री अनबत कुमार ओड्हा, स०विंस०, सदस्य/ श्री कुशवाहा शशिभूषण गेहता, स०विंस०, सदस्य/ श्री लम्बोदर भहतो, स०विंस०, सदस्य/ श्री कुमार जय भंगल(अनुप सिंह) स०विंस०, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंची/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंची/ गुरुत्व सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंची/ प्रधान सचिव, अवन विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं ट्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ रांसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/५/२१
(रंजीत कुमार)

संस्कृत सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

सापोंक ०१ दिनांक १०५ / विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- स्थापन शाखा (१० प्रतियों में) लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑफिलाई शाखा/ सभी अपर सचिव, रांयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/५/२१
(रंजीत कुमार)

संस्कृत सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

आरखण्ड विद्यान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रीची, दिनांक 23/5/21

संख्या—01स्था०—९७/२०२०—१०६/विस०। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि आरखण्ड विद्यान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन के नियम—२६६(१) के अधीन प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, आरखण्ड विद्यान सभा द्वारा वर्ष—२०२०-२१ में गठित सामान्य प्रयोजन समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :—

०१. श्री सरयू राय	साठविंस०	सभापति
०२। श्री भानू प्रताप शाही	स०विंस०	सदस्य
०३. श्री मधुरा प्रसाद महतो	स०विंस०	सदस्य
०४. श्री अक्षत कुमार ओझा	स०विंस०	सदस्य
०५. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स०विंस०	सदस्य
०६. श्री सुदिव्य कुमार	स०विंस०	सदस्य।

श्री सरयू राय, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अबवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, आरखण्ड विद्यान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद) 23/5/21
सचिव,

आरखण्ड विद्यान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२०—१०७/विस०, रीची, दिनांक—२३/५/२१
प्रति—श्री सरयू राय, सभापति सामान्य प्रयोजन समिति/श्री भानू प्रताप शाही, सदस्य, आरखण्ड विद्यान सभा, रीची/श्री मधुरा प्रसाद महतो, सदस्य, आरखण्ड विद्यान सभा, रीची/श्री अक्षत कुमार ओझा, सदस्य, आरखण्ड विद्यान सभा/श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, सदस्य, आरखण्ड विद्यान सभा/श्री सुदिव्य कुमार, सदस्य, आरखण्ड विद्यान सभा, रीची/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, आरखण्ड, रीची/महालेखाकार, आरखण्ड, रीची/मुख्य सचिव, आरखण्ड सरकार, रीची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीत कुमार)
23/5/2021
(राजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

आरखण्ड विद्यान—सभा, रीची।

ज्ञापांक—०१स्था०—९७/२०२०—१०७/विस०, रीची, दिनांक—२३/५/२१

प्रति—स्थापन शाखा (१० प्रति गे), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, आरखण्ड विद्यान—सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाइन शाखा, आरखण्ड विद्यान—सभा/सभी अपर सचिव, /सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, आरखण्ड विद्यान—सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीत कुमार)
23/5/2021
संयुक्त सचिव, आरखण्ड विद्यान—सभा, रीची।

इ०प०३०-

गोपनीय राज समाज संघर्ष

०२

ज्ञापांक:- ०१स्था०-९७/२०२० १०७ /विसो, रौची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/सचिव महोदय के आए सचिव को झमझा, माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

*राज समाज
संघर्ष*

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रौची।

ज्ञापांक:- ०१स्था०-९७/२०२० १०७ /विसो, रौची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, ढोरण्डा, रौची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*राज समाज
संघर्ष*

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रौची।

ज्ञापांक:- ०१स्था०-९७/२०२० १०७ /विसो, रौची, दिनांक- २३।५।२१

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ढोरण्डा, रौची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अक्ष में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

*राज समाज
संघर्ष*

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रौची।

*राज समाज
संघर्ष*

२३।५।२१

राज समाज संघर्ष

(अधिकारी का नाम)

झारखण्ड विद्यालय सभा सचिवालय

अधिसूचना

रोकी, दिनांक :- २३।५।२१
१०८


संख्या-०१ द्व्या०-९७/२०२०- वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विद्यालय सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-२२३ (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानवीय अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यालय सभा द्वारा वर्ष २०२०-२१ में गठित आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति को वर्ष २०२१-२२ के लिए नियन प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

१. श्री रामचन्द्र सिंह	स०वि०स०	सभापति
२. श्री दशरथ गागराई	स०वि०स०	सदस्य
३. श्री नारायण दास	स०वि०स०	सदस्य
४. श्री नवीन जाह्नवाल	स०वि०स०	सदस्य
५. श्री सोना राम सिंह	स०वि०स०	सदस्य।

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव हुसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो श्री पूर्व अधिक हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विद्यालय सभा के आदेश से,



(महेश प्रसाद)

सचिव

१०९ झारखण्ड विद्यालय सभा, रोकी।

सापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- वि०स०, रोकी, दिनांक - २३।५।२१

प्रति :- श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०, सभापति, आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति/ श्री दशरथ गागराई, स०वि०स०, सदस्य/ श्री नारायण दास, स०वि०स०, सदस्य/ श्री नवीन जाह्नवाल, स०वि०स०, सदस्य/ श्री सोना राम सिंह, स०वि०स०, सदस्य/ मानवीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, रोकी/ महालेखाकार, झारखण्ड, रोकी/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रोकी/ प्रधान सचिव, अवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सारकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(रजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय सभा, रोकी।

सापांक :-०१ द्व्या०-९७/२०२०- वि०स०, रोकी, दिनांक - २३।५।२१

प्रति :- स्थापन शाखा (१० प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विद्याली शाखा/ ऑनलाइन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विद्यालय सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रजीत कुमार)


संयुक्त सचिव

झारखण्ड विद्यालय सभा, रोकी।

-- 02 --

ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- १०९, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, ज्ञा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौंची, संयुक्त संघिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आपत संघिव, संविधीय कार्यालय को कमाशः जाननीय अध्यक्ष महोदय एवं संघिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।



23/५/२०२१

संयुक्त संघिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- १०९, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- कौशागार पदाधिकारी, संविधान सभा, बेपाल हाउस, डोरण्डा, रौंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



23/५/२०२१

संयुक्त संघिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।


ज्ञापांक :-०१ स्था०-९७/२०२०- १०९, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- जोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौंची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौंची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23/५/२०२१

संयुक्त संघिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।


23/५/२०२१

संयुक्त संघिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंची।

23/५/२१

1. इस फॉर्म - जिनके लिए ज्ञापांक - १०९, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१, ज्ञापांक द्वारा विधान सभा के विशेष कार्य पदाधिकारी, ज्ञा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौंची, संयुक्त संघिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आपत संघिव, संविधीय कार्यालय को कमाशः जाननीय अध्यक्ष महोदय एवं संघिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

2. इस फॉर्म - जिनके लिए ज्ञापांक - १०९, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१, ज्ञापांक द्वारा विधान सभा के कौशागार पदाधिकारी, संविधान सभा, बेपाल हाउस, डोरण्डा, रौंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. इस फॉर्म - जिनके लिए ज्ञापांक - १०९, विंस०, रौंची, दिनांक - २३/५/२१, ज्ञापांक द्वारा विधान सभा के जोडल पदाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौंची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।